भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 704
दिनांक 04 दिसंबर 2025

पहल (डीबीटीएल) योजना

†704. **श्री पी. पी. चौधरीः**

श्री बलवंत बसवंत वानखडेः

श्री जशुभाई भिलुभाई राठवाः

श्री विजय बघेलः

श्री राधेश्याम राठियाः

श्री सुरेश कुमार कश्यपः

डॉ. हेमंत विष्णु सवराः

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री*** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा एलपीजी के लिए 'पहल' प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल) तंत्र के माध्यम से सब्सिडी हस्तांतरण और एलपीजी वितरण में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या लाभार्थियों की पहचान में सुधार लाने तथा डुप्लीकेट या अयोग्य कनेक्शनों के मामलों में कमी लाने के लिए कोई पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ग) सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने के लिए 'पहल' (डीबीटीएल) योजना के अंतर्गत कितने एलपीजी कनेक्शन अवरुद्ध, निलंबित या निष्क्रिय किए गए हैं तथा विशेषकर पाली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी पहचान के लिए क्या मानदंड और प्रक्रिया अपनाई गई है;

(घ) 'पहल' (डीबीटीएल) योजना की विशेषकर पाली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में उपभोक्ता संतुष्टि और शिकायत निवारण के संबंध में हाल ही में की गई लेखापरीक्षा या तीसरे पक्ष द्वारा किए गए मूल्यांकन के परिणाम क्या हैं; और

(ङ) महाराष्ट्र के पालघर जिले में एलपीजी के लिए 'पहल' प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के ज़रिए सब्सिडी हस्तांतरण और एलपीजी वितरण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग): देश भर में राजसहायता के पारदर्शी और प्रभावी संवितरण के लिए एलपीजी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल)-पहल योजना जनवरी 2015 से लागू की गई है। पहल योजना के तहत, सभी घरेलू एलपीजी सिलेंडर एक समान खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) पर बेचे जाते हैं और एलपीजी उपभोक्ताओं को लागू राजसहायता सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जाती है।

पहल ने 'फर्जी' खातों, एक से अधिक खातों और निष्क्रिय एलपीजी कनेक्शनों की पहचान की है तथा उन्हें ब्लॉक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे राजसहायता प्राप्त एलपीजी के व्यावसायिक उपयोग के

विपथन पर अंकुश लगाने में मदद मिली है। दिनांक 01.11.2025 की स्थिति के अनुसार, पाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र (जोधपुर, पाली और बेवर जिले को कवर करते हुए) में 1.39 लाख कनेक्शन सहित कुल 4.19 करोड़ डुप्लिकेट, गैर-मौजूद, एक से अधिक तथा निष्क्रिय एलपीजी कनेक्शन बंद, रद्द अथवा निष्क्रिय किए गए हैं।

सरकार ने अयोग्य उपभोक्ताओं को हटाने और राजसहायता अंतरण प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

सीएलडीपी के माध्यम से डी-डुप्लीकेशन

सरकार द्वारा एक कॉमन एलपीजी डेटाबेस प्लेटफ़ॉर्म (सीएलडीपी) भी प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से डुप्लिकेट कनेक्शनों की पहचान की जा रही है और उन्हें एलपीजी डेटाबेस से हटाया गया है। एलपीजी उपभोक्ता के डेटाबेस से डुप्लिकेशन हटाने का काम आधार संख्या, बैंक खाता विवरण, संक्षिप्त घरेलू सूची (एएचएल) अस्थायी पहचान संख्या (टीआईएन), राशन कार्ड विवरण, नाम और पते जैसे प्रमुख मापदंडों का उपयोग करके किया जाता है।

बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण अभियान

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण, लाभार्थियों की सटीक, रियल टाइम में और लागत प्रभावी पहचान, प्रमाणीकरण और डी-डुप्लीकेशन को सक्षम बनाता है, जिससे इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक लाभ का निर्धारित वितरण सुनिश्चित होता है। सरकार ने उपभोक्ता प्रमाणीकरण को और मजबूत करने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) और पहल लाभार्थियों का बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण करने तथा उसे पूरा करने का निर्देश दिया था। दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार, मौजूदा पीएमयूवाई लाभार्थियों में से 71% के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा हो चुका है। इसके अलावा, सभी नए पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को कनेक्शन जारी करने से पहले बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से गुजरना पड़ता है।

अयोग्य उपभोक्ताओं को हटाना

पहल ने पात्रता रखने वाले पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित राजसहायता लाभ के संवितरण को सक्षम बनाया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं कि ये संबंधित लाभ पात्रता रखने वाले और निर्धारित लाभार्थियों तक कुशलतापूर्वक तथा समय पर पहुँच सके। इसकी शुरुआत के बाद से, किए गए व्यापक डीडुप्लीकेशन संबंधी अभ्यासों के परिणामस्वरूप, कुल 8.63 लाख पीएमयूवाई कनेक्शन समाप्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा, जनवरी 2025 में, उन पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को हटाने के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई थी, जिन्होंने अपना कनेक्शन लेने के बाद से कोई और रिफिल नहीं लिया था तथा दिनांक 1 नवंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार, लगभग 20,000 निष्क्रिय पीएमयूवाई कनेक्शन एसओपी के बाद पहले ही समाप्त कर दिए गए हैं।

(घ): अनुसंधान एवं विकास पहल (आरडीआई) द्वारा एक व्यापक तृतीय-पक्ष मूल्यांकन किया गया। अध्ययन में पाया गया कि 90% से अधिक प्रतिवादी राजसहायता प्रतिपूर्ति व्यवस्था से संतुष्ट थे। रिपोर्ट में राजसहायता भुगतान के बुनियादी ढाँचे तथा शिकायत निवारण प्रणालियों को मजबूत करने के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तक राजसहायता को सीमित करते हुए निर्धारित करने की प्रक्रिया में सुधार की सिफारिश की गई है। यह एलपीजी के बेहतर अंगीकरण और सुरक्षित प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय भाषा और जनसंचार अभियानों के जरिए निरंतर सुरक्षा जागरूकता और व्यापक पहुँच की आवश्यकताओं पर भी प्रकाश डालती है। इन निष्कर्षों के आधार पर ही पहल योजना की दक्षता, पारदर्शिता और पहुँच को और अधिक बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

पालि लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित सभी एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए शिकायत निवारण प्रणाली को भी धीरे-धीरे मजबूत किया गया है और समय के साथ उपभोक्ता अनुभव तथा सेवा गुणवत्ता में भी सुधार किया गया है। अब एलपीजी उपभोक्ता निम्नलिखित में से किसी भी माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं–

1. टोल-फ्री हेल्पलाइन-उपभोक्ताओं के लिए समर्पित टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-2333-555 उपलब्ध है, जिस पर वे राजसहायता से संबंधित समस्याओं सहित अपनी सभी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं।
2. ओएमसीज की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन
3. केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स)
4. चैटबॉट, व्हाट्सएप एवं सोशल मीडिया हैन्डल (ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम) जिसमें एमओपीएनजी ई सेवा भी शामिल है।
5. 1906 : एलपीजी दुर्घटना/रिसाव हेतु समर्पित हेल्पलाइन
6. डिस्ट्रीब्यूटर कार्यालय में सीधे शिकायत दर्ज कराना

ऑनलाइन शिकायतों के मामले में, उपभोक्ताओं के पास शिकायत समाधान पर अपनी प्रतिक्रिया देने का विकल्प होता है। यदि कोई उपभोक्ता प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो उसके पास आगे और समीक्षा करने हेतु समस्या को दोबारा प्रस्तुत करने का विकल्प होता है।

(ड.): डीबीटीएल के अंतर्गत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/जिला-वार धनराशि का आवंटन नहीं किया जाता है। वर्ष 2021-22 से डीबीटीएल राजसहायता का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
धनराशि	177.06	180	1460	375.26

वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान, सऊदी सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण हेतु अंतरर्राष्ट्रीय बेंचमार्क) 415 डॉलर प्रति मीट्रिक टन से बढ़कर 712 डॉलर प्रति मीट्रिक टन हो गया। हालाँकि, अंतरर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि का पूरा प्रभाव खुदरा मूल्यों पर नहीं डाला गया था, जिसके कारण तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को भारी नुकसान हुआ। सरकार ने ओएमसीज को हुए इस नुकसान की भरपाई हेतु वित्त वर्ष 2022-23 में ओएमसीज को 22,000 करोड़ रुपये का एक-बारगी मुआवजा प्रदान किया।

वर्ष 2024-25 के दौरान एलपीजी के अंतरराष्ट्रीय मूल्य दोबारा बढ़े और आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। हालाँकि, उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय एलपीजी के मूल्यों में हुए उतार-चढ़ाव से सुरक्षित रखने के लिए बढ़ी हुई लागत के भार को घरेलू एलपीजी के उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया, जिससे तीन तेल विपणन कंपनियों को भारी नुकसान हुआ। इस नुकसान के बावजूद, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने देश में किफायती मूल्यों पर घरेलू एलपीजी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की है। सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को हुए इस नुकसान की भरपाई हेतु हाल ही में तेल विपणन कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपये के मुआवजे को मंजूरी प्रदान की है।

*****